फा.न. सीबीईसी-20/16/04/2018-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष **कर और सीमा शुल्क बोर्ड**
(जीएसटी पॉलिसी विंग)

****

नई दिल्ली
दिनांक 28 जून, 2019

सेवा में
प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त
प्रधान आयुक्त/ केन्द्रीय कर आयुक्त (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: कतिपय मामलों में आपूर्ति के स्थल निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

निम्नलिखित मामलों में आपूर्ति के स्थल निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए व्यापार तथा उद्योग से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:-

(I) **पत्तनों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं-** पत्तनों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली विभिन्न कार्गो संभलाई सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थल:

(II) **भारत में अस्थाई रूप से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर दी जाने वाली सेवाएं -** विदेश से प्राप्त पालिश न किए हुए हीरों जिन्हें कटाई, पालिश आदि के बाद निर्यात किया जाता है, उन पर दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में आपूर्ति का स्थल ।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (इसके बाद 'आईजीएसटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में निहितार्थ आपूर्ति के स्थल निर्धारण से संबंधित प्रावधानों की जांच की गई । कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (इसके बाद 'सीजीएसटी अधिनयिम' के रूप में संदर्भित) की धारा

168 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार मुद्दों को स्पष्ट करता है :-

क्रम स.	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	पत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने ग्राहकों को कार्गो संभलाई के संबंध में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है । पत्तन पर वैगनों के आने पर कुछ ऐसी सेवाएं है, पत्तन क्षेत्र के अंदर उतराई स्थल तक वैगनों की ढुलाई, पत्तन के अंदर वैगनों की साइडिंग, वैगनों की उत्तराई, प्लॉट तक उतारे गए कार्गो का आवागमन है और इसलिए उनकी स्टेकिंग, उतरे हुए कार्गो का बर्थ तक आवागमन, जलयानों आदि पर शिपमेंट/लोडिंग ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के स्थल निर्धारण के बारे में शंका उत्पन्न हुई है अर्थात क्या इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) अथवा धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों की शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जैसा भी मामला हो अथवा इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों की शर्तों पर निर्धारित किया जाएगा ।	यह एतद्द्वार स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सेवाएं कार्गो संभलाई सेवाओं की सहायक अथवा उससे संबधित है और अचल सम्पत्ति से संबंधित नहीं है। तदनुसार आईजीएसटी अधिनियम की धारा (12) की उपधारा (2) अथवा धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों जैसा भी मामला हो, आपूर्तिकर्त्ता और ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्त्ता के बीच हुए अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करते हुए, के अनुसार ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के स्थल का निर्धारण किया जाएगा।

2.	अनपालिशड हीरे जो भारत में अस्थाई रूप से आयात किए गए है और भारत में उनको कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, पर कटिंग और पॉलिशिंग जैसी विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति के मामले में आपूर्ति के स्थल के बारे में शंका उत्तपन्न हुई है ।	निष्पादन आधारित सेवाओं के मामले में आपूर्ति के स्थल का निर्धारण आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और सामान्यत: सेवा का स्थल वह है जहां पर वास्तव में सेवाएं निष्पादित की जाती है । परन्तु उन वस्तुओं जिन्हें भारत में मरम्मत अथवा किसी अन्य उपचार अथवा प्रक्रिया के लिए अस्थाई रूप से आयात किया जाता है और भारत में इन्हें किसी उपयोग में लाए बिना ऐसी मरम्मत अथवा उपचार अथवा प्रक्रिया के बाद निर्यात किया जाता है, के संबंध में आपूर्ति की गई सेवाओं के मामले में एक अपवाद है । (ख) अनपालिशड हीरों जिन्हें भारत में अस्थाई रूप से आयात किया जाता है और उनका भारत में कोई उपयोग नहीं किया जाता है, पर कटिंग और पॉलिशिंग गतिविधियों के मामले में आपूर्ति का स्थल आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण करेंगे ।

(उपेन्द्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)